न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल
वीरपुर थाना काण्ड संख्या– 120/15

	जमानत आवेदन संख्या– 376/2026 सुमन कुमार खॉ, पिता– सुन्दर कांत खॉ, सा0– बनगांव, थाना– बनगांव, जिला– सहरसा..आवेदक **जमानत आवेदन संख्या– 386/2026** मो0 इजहार खॉ, पिता– तसलय खॉ, सा0– नरियार, थाना व जिला– सहरसा... आवेदक **बनाम्** बिहार सरकार...विपक्षी	
24/06/26	काराधीन अभियुक्त सुमन कुमार खॉ एवं मो0 इजहार खॉ की ओर से दाखिल अलग–अलग जमानत आवेदन संख्या– 376/26 एवं 386/26 को विद्वान अधिवक्तागण नागेन्द्र नारायण ठाकुर एवं राज कुमार सिंह के द्वारा प्रचालित किया गया। चूँकि उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही थाना काण्ड संख्या यथा वीरपुर थाना काण्ड संख्या 120/15 से सम्बंधित हैं, अतः उपरोक्त दोनों जमानत आवेदनों की सुनवाई एक साथ की गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति एवं साजिश व षड़यंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है तथा उनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया धारा 420, 465, 466, 468, 471 भा0दं0वि0 का आरोप गैरजमानतीय है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है तथा लगाया गया आरोप लागू नहीं होता है। काण्ड दैनिकी अथवा अभिलेख पर प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त मो0 इजहार के द्वारा किसी भी फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर कोई नौकरी नहीं किया है बल्कि विभाग के तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अनुसेवक के रूप में प्रार्थी अभियुक्त एवं अन्य की बहाली की गयी थी। प्रार्थी अभियुक्त सुमन कुमार खॉ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि वर्तमान मुकदमा के संबंध में पूर्व में प्रार्थी अभियुक्त के तरफ से कोई रीट याचिका दाखिल नहीं किया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त सुमन कुमार खॉ 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा बिमार रहते हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण को वर्तमान मुकदमा के संबंध में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर वर्तमान मुकदमा की जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। वाद के सह–अभियुक्त सैयद गुलजार एवं अन्य को पूर्व में इसी न्यायालय से अग्रिम जमानत आवेदन सं0 257/17 द्वारा एवं सह–अभियुक्त महाकांत पौद्दार एवं अन्य पांच को माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0 मिस0 नं0 39358/16 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है। प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 14/05/26 से काराधीन है तथा सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। प्रस्तुत वाद सूचक संतोष कुमार सुमन, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि कार्यालय, वीरपुर के टंकित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 19	लगातार..

<u>24/06/26</u> **लगातार**	अभियुक्तों के विरूद्व धारा 420, 465, 466, 468, 471 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वीरपुर थाना कांड सं0–120 / 2015 दिनांक 01 / 07 / 2015 दर्ज किया गया। सूचक का संक्षेप में कथन है कि कुल 19 व्यक्तियों ने संयुक्त कृषि निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा के फर्जी ज्ञापांक संख्या से वीरपुर अनुमंडल के विभिन्न प्रक्षेत्रों में नियुक्ति फर्जी पत्र तैयार कर लिया और फर्जी ढंग से तैयार किये गये सभी नियुक्ति पत्र वर्ष 1985 का है, लगभग 25–26 वर्षों बाद उसी फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर सभी लोगों ने अपनी स्थायी नियुक्ति का दावा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–21191 / 2011 दायर किया। जिसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता के स्तर से प्रति उत्तर दाखिल करने के लिये कहे जाने पर विभाग को इस फर्जीबाड़े की जानकारी हुई। जानकारी मिलने पर उक्त सभी फर्जी नियुक्ति पत्र एवं उसमें दर्ज ज्ञाप संख्या का विभागीय स्तर पर जॉच कराया गया। जॉच कराने के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त सभी फर्जी नियुक्ति पत्र कार्यालय से निर्गत नहीं है। उसमें दर्ज ज्ञाप संख्या एवं दिनांक सब गलत पाया गया है। तदनुसार संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा प्रमंडल, सहरसा द्वारा प्रथम दृष्टया बड़े स्तर पर किये गये जालसाली एवं धोखाधड़ी एवं धोखाधड़ी करने वाले के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्व फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने एवं लगभग 20–26 वर्ष बाद उसी फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर अपनी स्थायी नियुक्ति का दावा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 21191 / 2011 दायर करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण ने किसी तरह का कोई वेतन का भूगतान नहीं लिया है और न ही किसी तरह का नौकरी किया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि वाद के अन्य सह अभियुक्त को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1090 / 2016 में दिनांक 23.12.2016, अग्रिम जमानत आवेदन सं0 257 / 57 में दिनांक 18 / 03 / 2017 को एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0 मिस0 नं0 39358 / 16 में दिनांक 16 / 11 / 16 को पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण का मामला भी सामान स्तर पर है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 300 एवं 301 के अनुसार प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 14 / 05 / 26 से काराधीन है तथा प्रार्थी अभियुक्त सुमन कुमार खॉ 59 वर्ष के वृद्ध है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्तगण के ओर से दाखिल जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। प्रार्थीगण सुमन कुमार खॉ एवं मो0 इजहार खॉ को निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000 / – रूपये के व्यक्तिगत एवं सामान राशि के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेखापित ह0 / – (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल	